संख्या : 1675/8–3–18–167 विविध/18

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।
2. **जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 22 अक्टूबर, 2018**

विषय: विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में तीव्र नगरीकरण एवं उपलब्ध जल स्रोतों के अत्यधिक/अनियंत्रित दोहन के परिणामस्वरूप निरन्तर गिरते भू–जल स्तर में सुधार लाने के दृष्टिगत निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये है :–

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश	प्रस्तर संख्या
1	ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाए जाने के संबंध में	1703ए/9–आ–1–29–विविध/98(आ.ब.), दिनांक 12 अप्रैल, 2001	2.3 (ii) एवं (iii)
2	स्थानीय निकायों के कार्यालय भवनों में 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग' परियोजना लागू करने के संबंध में	3887/440/9–आ–1–रेन वा. हार्वे एवं ग्राउण्ड वा.रिचा./2002 (आ.ब.), दिनांक 02 सितम्बर, 2002	–
3	सरकारी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन के संबंध में	1760/9–आ–1–04–17 विविध/03, दिनांक 29 जुलाई, 2004	–
4	भू–जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के संबंध में	यू.ओ.35/आठ–1–2005, दिनांक 25 अप्रैल, 2006	3.6
5	रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के कियान्वयन हेतु अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से कियान्वित करने के संबंध में	3982/आठ–1–06–17 विविध/03टीसी–1, दिनांक 01 जुलाई, 2008	5(3)

3– प्रदेश में निरन्तर गिरते भू–जल स्तर सुधार हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित शासनादेशों में निहित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
16/x/2018

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

GO-V-Yadav 2017 v

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0, शासन लखनऊ।
4. निदेशक आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित की आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।